न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2013 (प्रा.प. निगरानी पंचायत)
RCMS No: 2013/00015

अनवान

1. श्री देवीलाल प्रजापत पुत्र खेमराज, निवासी कुम्हारवाड़ा, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत ऋषभदेव जरिये सरपंच, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री अरूण व्यास, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री ऋषभ जैन, अधिवक्ता विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994

* निर्णय *

दिनांक– 08-12-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता श्री देवीलाल प्रजापत पुत्र खेमराज, निवासी कुम्हारवाड़ा, ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत की है कि निगरानीकर्ता का मौजा ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव मे स्थित एक भूखण्ड़ पर कब्जा था, उसी आधार पर प्रार्थी ने विपक्षी के यहां भूखण्ड़ उसे विक्रय करने हेतु एक आवेदन किया एवं जरिये रसीद संख्या 670/82 दिनांक 23.04.2005 को आवेदन शुल्क जमा कराया एवं विपक्षी ने उसी आवेदन पर विधिवत प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 18.06.2005 को अपने संकल्प संख्या 7 द्वारा उक्त भूखण्ड़ प्रार्थी को बातचीत से तय दर अनुसार रूपये 12500/– अक्षरे रूपया बारह हजार पांच सौं कीमत तय कर आवंटित किया एवं राशि जरिये रसीद संख्या 1470/57 दिनांक 18.06.2005 को रूपये 4500/– एवं रसीद संख्या 677/70 दिनांक 06.08.2005 को रूपये 8000/– कीमत पेटे जमा कराये। उक्त प्रकार की राशि जमा होने के पश्चात् विपक्षी के सक्षम अधिकारीगण ने प्रार्थी के पक्ष मे पट्टा जारी किया, जिसके अनुसार प्रार्थी को 59X30.9 व 40 यानि 2360वर्गफीट भूमि प्रदान की। प्रार्थी निर्धारित कीमत अदा कर प्राप्त किये गये भूखण्ड़ का कब्जा प्राप्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अचानक दिनांक 11.09.2009 को विपक्षी द्वारा प्रार्थी को भूखण्ड़ के संबंध मे ऑड़िट द्वारा आपत्ति करने के आधार पर रूपया 19,999/– की वसूली हेतु एक नोटिस देकर अन्दर मयाद 15 दिवस राशि जमा कराने हेतु सूचित किया, जिसके उत्तर मे प्रार्थी ने राशि पर आपत्ति की, जिस कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी एवं वर्तमान सरपंच के मध्य विवाद हो जाने पर दिनांक 25.02.2013 को विपक्षी द्वारा एक पत्र जारी करते हुए प्रार्थी को सूचित किया कि उक्त

भूखण्ड़ के संबंध मे ऑड़िट द्वारा कीमत पेटे रूपया 1,99,900/– मूलधन एवं ब्याज पेटे रूपये 2,69,865/– कुल रूपये 4,69,765/– जमा कराने अथवा पट्टा निरस्त कर भूखण्ड़ कब्जे मे लेने के साथ पुलिस मे प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी दी व जवाब देने का अवसर भी दिया। प्रार्थी द्वारा अन्य क्रेताओं को बेचे भूखण्ड़ बाबत् वसूली न करने बाबत् कड़ी आपत्ति पेश करने पर उसे पुनः एक नोटिस 16.03.2013 को इस आशय का दिया गया कि ऑड़िट के आधार पर प्रार्थी से राशि 1,99,900/– वसूली योग्य है, जिसे 15 दिन मे जमा करावे, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विपक्षी द्वारा दिये गये पूर्व व वर्तमान नोटिस मे राशियों मे भारी अंतर है, जहां प्रथम नोटिस मे राशि 19,999/–, द्वितीय नोटिस मे 1,99,900/– व ब्याज 2,69,865/– एवं तृतीय नोटिस मे मात्र 1,99,900/– वसूली योग्य दर्शाया हैं इस प्रकार प्रत्येक नोटिस राशि मे अंतर होने से नोटिस आधारहीन व भ्रामक होने से निरस्त योग्य हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी के नोटिस व पत्र क्रमशः 16.03.2013 व 25.02.2013 एवं उसे अनुसरण मे की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी ग्राम पंचायत ऋषभदेव की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार जैन ने वकालात पत्र प्रस्तुत प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता वर्तमान मे ऋषभदेव कस्बे मे राजकीय चिकित्सालय के सामने निधि एक्सरे क्लीनिक के नाम से एक्सरे क्लीनिक व जांच लेबोरेट्री चला रहा हैं। निगरानीकर्ता श्री देवीलाल प्रजापत पुत्र खेमराज ने वर्ष 2005 मे आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह बताया कि उसका भूखण्ड़ पर 15 वर्षो से अर्थात वर्ष 1990 से कब्जा है, जबकि वर्ष 1990 के आसपास निगरानीकर्ता नाबालिग था। निगरानीकर्ता द्वारा गलत तथ्य दर्शाकर व पंचायत को गुमराह कर पट्टा प्राप्त किया हैं। निगरानीकर्ता के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा अपंजीकृत होने से अपने आप मे अवैध हैं। अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षण वर्ष 2005–2006 की रिपोर्ट मे निगरानीकर्ता के विरूद्ध 1,99,900/– की वसूली निकाली, जिसकी पालना मे ग्राम पंचायत ने सर्वप्रथम दिनांक 24.03.2008 को निगरानीकर्ता को उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया, परन्तु निगरानीकर्ता ने उक्त राशि जमा नहीं करायी। इसके पश्चात् दिनांक 11.09.2009 को निगरानीकर्ता को पुनः नोटिस जारी किया गया, जिसमे त्रुटिवश राशि 19,999/– लिख दी गई, जबकि आशय राशि 1,99,900/– से ही था। इसका पश्चात् दिनांक 25.02.2013 को अंतिम नोटिस जारी किया गया, जिसमे मूल राशि 1,99,900/– व उक्त राशि पर अंकेक्षण वर्ष 2005–06 से नियमानुसार राशि 2,69,865/– ब्याज की गणना की गई, इस प्रकार कुल राशि 4,69,765/– की मांग की गई, जो निगरानीकर्ता ने जमा नहीं करायी। पंचायत की ओर से अंकेक्षण वर्ष 2005–06 मे जिन जिन व्यक्तियों के विरूद्ध वसूली निकाली गई, उन सभी को वसूली के नोटिस दिये गये एवं सभी से वसूली की जा रही हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार फरमायी जाकर निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जावे कि वह पंचायत की बकाया राशि 4,69,765/– अविलम्ब जमा करावे। प्रकरण मे विपक्षी ग्राम पंचायत ऋषभदेव की ओर से जवाब प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत

ऋषभदेव से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मंगवायी जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होने क्रमशः अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध निगरानीकर्ता श्री देवीलाल प्रजापत पुत्र खेमराज के निगरानी प्रार्थना पत्र, विपक्षी के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ऋषभदेव की पत्रावली का अवलोकन किया व वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह ज्ञात होता है कि निगरानीकर्ता श्री देवीलाल प्रजापत पुत्र श्री खेमराज, निवासी कुम्हारवाड़ा, ऋषभदेव को विपक्षी ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा मिसल संख्या 14/2005 से दिनांक 18.06.2005 को आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली मे आरक्षित दर से कम दर पर ग्राम पंचायत द्वारा बेचान वसूली योग्य राशि बाबत् उपलब्ध अंकेक्षण विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेप की सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के विरूद्ध आरक्षित दर से कम दर पर ग्राम पंचायत द्वारा बेचान वसूली योग्य राशि का नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा स्वेच्छा से जारी न कर अंकेक्षण विभाग की ऑडिट मे बनाये गये ऑड़िट पैरा एवं सूची के अनुरूप जारी किया गया हैं, जिसमे अंकेक्षण विभाग द्वारा क्र.स. 3 पर निगरानीकर्ता श्री देवीलाल प्रजापत पुत्र खेमराज से भूखण्ड़ विक्रय की अन्तर राशि 1,99,900/– वसूली योग्य बतायी गयी हैं। ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा भी इसी आशय के नोटिस निगरानीकर्ता को जारी किये गये है। पत्रावली मे उपलब्ध विपक्षी ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा निगरानीकर्ता को जारी नोटिस दिनांक 24.03.2008 मे वसूली योग्य राशि 1,99,900/– व नोटिस दिनांक 11.09.2009 में वसूली योग्य राशि 19,999/– एवं नोटिस दिनांक 25.02.2013 मे मूल राशि 1,99,900/– व ब्याज 2,69,865/– वसूली योग्य कुल राशि 4,69,765/– तथा नोटिस दिनांक 16.03.2013 मे वसूली योग्य राशि 1,99,900/– अंकित करना पाया गया है। इसके परिपेक्ष्य ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से हम संतुष्ट है कि विपक्षी द्वारा निगरानीकर्ता को जारी द्वितीय नोटिस दिनांक 11.09.2009/– मे वसूली योग्य राशि 1,99,900/– के स्थान पर 19,999/– सहवन से अंकित हुई हैं, क्योंकि प्रथम नोटिस दिनांक 24.03.2008 मे स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा निगरानीकर्ता श्री देवीलाल प्रजापत पुत्र खेमराज को वसूली योग्य राशि 1,99,900/– जमा कराने बाबत् लिखा गया हैं। इसके पश्चात् के निगरानीकर्ता को जारी किये गये नोटिस मे मूलधन के अतिरिक्त ब्याज की गणना भी की गई हैं। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य ध्यान मे आता है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को जारी किये गये नोटिस अंकेक्षण विभाग द्वारा बनाये गये पैरा के अनुरूप किये गये है। यहां यह तथ्य भी स्पष्ट करना उचित होगा कि निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पेश की जा सकती है, किन्तु प्रकरण मे नोटिस इत्यादि की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्तर पर न की जाकर अंकेक्षण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप की गई हैं। यदि निगरानीकर्ता को उक्त वसूली योग्य राशि के संबंध मे कोई आपत्ति है एवं वह पैरा के निस्तारण बाबत् कोई जवाब या स्पष्टीकरण पेश चाहता है तो ग्राम पंचायत के मार्फत अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत कर सकता है। अंकेक्षण

विभाग द्वारा निकाली गई ऑड़िट आक्षेप वसूली राशि के संबंध मे किसी प्रकार हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

अतः निगरानीकर्ता श्री देवीलाल प्रजापत पुत्र खेमराज द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार की जाकर खारिज किया जाता है एवं निगरानीकर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि अंकेक्षण विभाग द्वारा निकाली गई ऑड़िट आक्षेप वसूली योग्य राशि के संबंध मे ऑड़िट पैरा के निस्तारण बाबत् निगरानीकर्ता कोई जवाब या स्पष्टीकरण पेश करना चाहे, तो विपक्षी ग्राम पंचायत ऋषभदेव के मार्फत अंकेक्षण विभाग को पेश कर ऑड़िट पेरा का निस्तारण करावें एवं यदि निगरानीकर्ता इस संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं करता है तो ग्राम पंचायत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर